न्यायालय – माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

115

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/4073

दिनांक 12.12.17 को श्री देवेन्द्र सिंह कुशवाह अभि० द्वारा प्रस्तुत।

12-12-17

पे० दि० 3-1-18

12-12-17

1. बलराम सिंह यादव पुत्र सरनामसिंह,
2. जयरामसिंह यादव पुत्र सरनामसिंह

निवासीगण ग्राम सिमराव वृत्त पीपरीकला तहसील एवं जिला भिण्ड (म.प्र.) –– आवेदकगण

बनाम

भगवान सिंह पुत्र श्री डोगीसिंह तोमर, निवासी ग्राम सिमराव वृत्त पीपरीकला तहसील एवं जिला भिण्ड (म.प्र.)

–– अनावेदक

<u>निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 के विरूद्ध आदेश दिनांक 05.07.2017 द्वारा पारित न्यायालय तहसीलदार, तहसील भिण्ड के प्रकरण क्रमांक क्यू–3/भू.प्र./पु.नि.2017/929 से परियेदित होकर। भू–राजस्व संहिता की धारा 129 दायरा ए–12 के अन्तर्गत सीमांकन हेतु।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य :–

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस तरह है कि पटवारी मौजा सिमराव, वृत्त पीपरी, परगना भिण्ड में स्थित सर्वे क्रमांक 1012/2 के रकवें पर ही आवेदकगण भूमिस्वामी हैं।
2. यहकि, पटवारी मौजा सिमराव में में स्थित सर्वे क्रमांक 1012/2 के स्वामित्व वाले हिस्से पर ही काबिज हैं।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो / निगरानी / भिण्ड / भू.रा / 2017 / 6073

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
17–1–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार भिण्ड जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक क्यू / –3 / भू.प्र. / पु.नि.2017 / 929 में पारित आदेश दिनांक 05.07.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि पंचनामा में स्पष्ट लेख किया गया है कि अनावेदक भगवान सिंह पुत्र डोगीसिंह तोमर का सर्वे क्रमांक 1012 / 2 का सीमांकन किया गया। समीपवर्ती कृषकों को सर्वे क्रमांक 1012 / 2 की सीमांकन की सीमा चिन्ह समझाये गये, उसके बाद ही सीमांकन किया गया है। तहसीलदार भिण्ड जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक क्यू / –3 / भू.प्र. / पु.नि.2017 / 929 में पारित आदेश दिनांक 05.07.17 के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्व हो सके कि वह उस भूमि पर काबिज है और नहीं धारा 250 के नोटिस की प्रति प्रस्तुत की है जिससे यह सिद्व हो सके कि आवेदक के विरूद्व कार्यवाही हो रही है। यदि आवेदक उक्त	

सीमांकन से परिवेदित है तो वह अपना सीमांकन कराने के लिये स्वतंत्र हैं

3–परिणामस्वरूप तहसीलदार भिण्ड जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक क्यू/–3/भू.प्र./पु.नि.2017/929 में पारित आदेश दिनांक 05.07.17 के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः आदेश दिनांक 5.7.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य